राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.11(9)नविवि / 2020 जयपुर, दिनांकः 01 FEB 2023

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29.11.2022 के द्वारा मॉडल राजस्थान भवन विनियम–2020 के प्रावधानों में किये गये संशोधन / विलोपन के क्रम में दिनांक 29.11.2022 से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदित प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही की जावें:–

1. जिन भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणों में दिनांक 29.11.2022 से पूर्व सक्षम समिति / एम्पावर्ड कमेटी / सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, ऐसे प्रकरणों में भवन निर्माण स्वीकृति सक्षम समिति / एम्पावर्ड कमेटी / सक्षम स्तर द्वारा निर्णित दिनांक पर लागू भवन विनियमों के अनुसार ही भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जावें।
2. जिन भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणों में पंजीकृत वास्तुविद से दिनांक 29.11.2022 से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया है, ऐसे प्रकरणों में यदि नियमानुसार राशि / शुल्क दिनांक 29.11.2022 से पूर्व संबंधित निकाय में जमा होने की स्थिति में पूर्व के भवन विनियमों के अनुसार पंजीकृत वास्तुविद द्वारा जारी की गई भवन निर्माण स्वीकृति मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त / राजस्थान आवसन मण्डल।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी / उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

उप नगर नियोजक